जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-07.02.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया मोबाईल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 06.02.2025 को वादी श्री दिनेश पुत्र रामबहादुर निवासी शौर्य पैलेस माजरा रोड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली अपना मोबाईल अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली द्वारा 03 चोरो को चोरी किये गये मोबाईल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंकित पुत्र तेजपाल निवासी दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.विशाल उर्फ गोरा पुत्र राजकुमार शिवगंज मण्डी गन्ना सोसायटी के पास थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.दीपक पुत्र रामशरण निवासी पॉलिटेकनिक कॉलेज के पास अटल विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया गया मोबाईल फोन सैमसंग A 13

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने व धमकी देने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत छेड़छाड़ करने व धमकी देने के मामले में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 06.02.2025 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सारिक पुत्र रमजान निवासी मौहल्ला लाल मस्जिद थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध छुरा बरामद।</u>

आज दिनांक 07.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.गौरव पुत्र श्यामपाल निवासी ग्राम चन्देनामाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 01 छुरा।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 07.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नौशाद उर्फ मोटा पुत्र मकसूद निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना भवन जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद।

ज्ञात हो कि विगत दिनों थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक युवक अवैध हथियार लिये हुये दिखाई दे रहा था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर सभी थानों से उस संबंध में जानकारी कर कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान समीर कुरैशी पुत्र नाजिम कुरैशी निवासी मौहल्ला छड़ियान थाना कैराना जनपद शामली के रुप में की गयी थी, थाना कैराना पुलिस निरंतर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी।

इसी क्रम में दिनाँक 06.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सोशल मीड़िया पर अवैध हथियार के साथ वीड़ियो वायरल करने के मामले में 01 अभियुक्त को 01 अवैध पौनिया 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1-समीर कुरैशी पुत्र नाजिम कुरैशी निवासी मौहल्ला छड़ियान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- एक अवैध पौनिया मय 01 जिंदा कारतूस 12 बोर ।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा जुआ खेलते 03 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी 810/- रुपये व 52 ताश पत्ते बरामदः-

आज दिनांक 07.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 03 जुआरियों को नकदी 810/- रुपये एवं 52 ताश पत्ते सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.मुनेश पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.सौक्की पुत्र महीपाल निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.महावीर पुत्र पाला निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नगदी 810/- रुपये व 52 ताश पत्ते।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 07 अलग-अलग मामलों में 08 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1.-वर्ष 2005 में अभियुक्त पीतम सिंह पुत्र प्रकाश सिंह निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 203/2005 धारा 338/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजे(जेडी)/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2004 में अभियुक्त पप्पन पुत्र सहेन्द्र निवासी पट्टी नोतना ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 257/2004 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजे(जेडी)/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2018 में अभियुक्तगण 1.मोहित चौहान पुत्र अनिल चौहान निवासी खेड़ाभाऊ थाना झिंझाना जनपद शामली 2.पवन कुमार पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 103/2018 धारा 7/5/10 परीक्षा अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजे(जेडी)/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.-वर्ष 2004 में अभियुक्त इस्लाम पुत्र अलादीन निवासी ईदगाह रोड़ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0स0 298/2004 धारा 52ए/63 कापीराइट अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.-वर्ष 2015 में अभियुक्त रोहताश पुत्र करेशन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0स0 300/2015 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय उठने तक की सजा व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

6.-वर्ष 2001 में अभियुक्त जोनी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सलारपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 49/2001 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजे(जेडी)/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

7.-वर्ष 2019 में अभियुक्त सुभाष पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम मंगलोरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0स0 842/2019 धारा 188 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2025 को माननीय

न्यायालय सीजे(जेडी)/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI